न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी– सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2589 सन 2026
CNR. No.UPSP 01006392 2026

1. जिशान पुत्र रिजवान
2. मेहरान पुत्र रिजवान
3. अब्दुस्सलाम पुत्र रिजवान
4. शमशुर्रहमान पुत्र जाहिद
निवासीगण ग्राम दाबकी जुन्नारदार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 192/2026
धारा 326 जी, 324(6) बी0एन0एस0
थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

23.07.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **जिशान, मेहरान, अब्दुलस्सलाम व शमशुर्रहमान** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मौ0 मोहसीम द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष धारा–173(4) बी0एन0एस0 की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वादी प्लाटिंग का कार्य करता है। वादी ने विपक्षी जीशान व मेहरान के साथ मिलकर ग्राम बुखारा दूधली में खसना न0–52,53 व 54 में काटी थी। उक्त कालोनी में वादी की चालीस प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उक्त कालोनी के प्लाट विक्रय करने से प्राप्त धनराशि जीशान व मेहरान के पास थी और उनके द्वारा वादी को कोई धनराशि नहीं दी गयी। पैसे के लेने देने को लेकर विपक्षी जीशान व मेहरान से ढमोला नदी पुल पर वादी पर हमला किया गया था जिसमे सम्बन्ध में वादी द्वारा मु0अ0सं0–498/2025 थाना सदर बाजार पर पंजीकृत कराया था। विपक्षी जीशन व मेहरान वादी पर उक्त मामले में फैसले का दबाव बना रहे थे। दिनांक 08.02.2026 को रात्रि करीब 12:40 बजे वादी ग्राम दाबकी जुनारदार स्थित अपनी झोपडी में सोया हुआ था तभी विपक्षीगण जीशान, मेहरान, अब्दुस्सलाम व शमशुर्रहमान द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से उसकी झोपडी में आग लगा दी। वादी द्वारा बमुश्किल अपनी जान बचायी गयी। शोर सुनकर काफी लोग सालिम, हुसैन आदि मौके पर आ गये। अभियुक्तगण फैसला न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर मौके से चले गये। वादी के लडके द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में 112 नम्बर पर फोन कर फायर बिग्रेड को बुलाया जिन्होने आग बुझायी लेकिन आग में वादी का काफी सामान जलकर राख हो गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना पुलिस द्वारा कोई अभियोग पंजीकृत न किये जाने के कारण यह प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

वादी की उक्त तहरीर पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–109(1),326(जी),352,324(2) व 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा दौरान विवेचना मामले में धारा–109(1),352,324(2) व 351(3) बी0एन0एस0 का विलोपन तथा धारा–324(6) की वृद्धि की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को इस मामले में रंजिशन झूठा आलिप्त किया गया है। कूडे में लगी आग को वादी द्वारा झोपडी में आग लगना दर्शाकर झूठी घटना बनायी गयी है। विवेचना के दौरान मौके से कोई अवशेष पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया है। वादी एवं अभियुक्तगण के मध्य से पूर्व से मुकदमे बाजी है , इस कारण से उन्हे रंजिशन इस मामले में झूठा फसाया गया है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण की ओर से उसे अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाना से प्राप्त केस डायरी पर आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा यह जानते हुए कि वादी उसकी झोपडी में सो रहा है, वादी की उक्त झोपडी में आग लगाकर वादी को मृत्यु का भय कारित करने व उक्त झोपडी तथा उसमे रखा वादी का सामान को जला कर रिष्टी कारित करने के सम्बन्ध में थाना पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–109(1),326(जी),352,324(2) व 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना तथा विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा–109(1), 352, 324(2) व 351(3) बी0एन0एस0 का विलोपन तथा धारा–324(6) की वृद्धि किया जाना दर्शित है। केस डायरी पर अंकित वादी द्वारा अपने बयान में दिनांक 08.02.2026 की रात्रि में स्वॅय को अपनी झोपडी में सोने, अभियुक्तगण जीशान, मेहरान, अब्दुस्सलाम, शमशुर्रहमान द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से झोपडी में आग लगा देने, स्वॅय के द्वारा अभियुक्तगण जीशान, मेहरान को एक मोटर साईकिल पर तथा दूसरी मोटर साईकिल पर अब्दुस्सलाम व शमशुर्रहमान को मौके से भागते समय देखने का कथन किया है। केस डायरी पर अंकित स्वतंत्र साक्षीगण श्रीमती राशदा एवं हुसैन द्वारा केस डायरी पर अंकित अपने बयान में अभियुक्तगण को वादी की झोपडी को आग लगा कर मौके से भागते हुए देखने का कथन किया गया है। केस डायरी पर विवेचक द्वारा फायर बिग्रेड कर्मचारियो द्वारा घटना स्थल पर पहुॅचकर ग्राम दाबकी जुनारदार में झोपडी में लगी आग को बुझाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया जाना दर्शित है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 की ओर से तर्क किया गया है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटना वाले दिन अभियुक्तगण को मौके पर जाने के सम्बन्ध में विडियो फुटेज व फोटोग्राफ संकलित किये गये है जिनका विवरण केस डायरी में अंकित है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना केस डायरी पर संकलित साक्ष्य से प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। मामला आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय है। मामले की विवेचना प्रचलित है तथा मामले में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **जिशान, मेहरान, अब्दुस्सलाम एवं शमशुर्रहमान** की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस जमानत आदेश की प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांकः– 23.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर
I.D. UP-1891